उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

संख्या- 100 /2026/1833/2026-27-10001(002)/5/2026-10

लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के याँत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत श्री राम धनी चौहान, अधीक्षण अभियन्ता (याँ0) को चयन वर्ष 2026-2027 में प्राप्त रिक्ति के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक) स्तर-2 (ग्रेड पे 8900/-, पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- श्री चौहान की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

3- उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित वाद सं0-722/एस.बी./99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, वाद सं0-1240/एस.बी./2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद सं0-7001/एस.एस./2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक– यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वरि0स्टाफ अधिकारी(ई-9), कार्यालय प्रमुख अभियंता(यां0), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा- प्रमुख अभियंता(यां0), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियंता(यां0), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।